संख्याः 55/2025/636/छप्पन-2025-98/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2025

विषयः आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि 92.50 एकड़ के क्रय हेतु रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रतिलिपिकरण आदि की धनराशि रू0 2,30,83,958/- उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 28/ना0उ0नि0-2025-ए-4/2019 दिनांक 05.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), आगरा के पत्र संख्या- 1734/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 20.02.2025 के क्रम में शासनादेश संख्या- 106/2023/1379/छप्पन-2023-98/2013 दिनांक 29.09.2023 द्वारा आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु 92.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1,23,59,27,574/- एवं शासनादेश संख्या- 43/2024/461/छप्पन-2024-98/2013 दिनांक 30.03.2024 द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क व प्रतिलिपिकरण शुल्क हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1,23,82,496/- अर्थात कुल रू0 (1,23,59,27,574+1,23,82,496)= 1,24,83,10,070/- के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू0 4,86,03,952/- में से रू0 1,07,01,460/- (रूपए एक करोड़ सात लाख एक हज़ार चार सौ साठ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा एयरपोर्ट पर नवीन सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि 92.50 एकड़ के क्रय हेतु रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रतिलिपिकरण आदि की अवशेष धनराशि रू0 1,07,01,460/- (रूपए एक करोड़ सात लाख एक हजार चार सौ साठ) अब तक स्वीकृत धनराशि रू0 1,24,83,10,070/- के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू0 4,86,03,952/- में से नियमानुसार व्यय किये जाने की अनुमति निम्नवत शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या- 55/2025/636(1)/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार - प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-111, आडिट भवन, टीसी-35 वी-1, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ 10 ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- जिलाधिकारी, आगरा।
5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।